

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-19/2018/428/दो-2-2018-28/2(2)/2018
लखनऊ: दिनांक: 08 फरवरी, 2018
आदेश

श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी, पी0सी0एस0-1997 के भविष्य निधि खाता संख्या-एल0आर0ए0यू0-1402 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-16/मिलान डायरी-294/ दिनांक 01-01-2018 के अनुसार वर्ष 2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-24,24,929/- (रू0-चौबीस लाख चौबीस हजार नौ सौ उन्तीस मात्र) जिसमें माह 3/17 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-21,82,436.01 अर्थात रू0-21,82,436/- (रूपये इक्कीस लाख बयासी हजार चार सौ छत्तीस मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी, पी0सी0एस0-1997, तत्कालीन अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट, कोषागार, लखनऊ।
- 4- श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-647-एफ/222/1, सेक्टर-आई, शिव विहार कालोनी, जानकीपुरम, लखनऊ-226021

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।